

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2010

क्र. 7388-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१०

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि  
( संशोधन ) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

## भाग—एक

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९७२ ( क्रमांक २७ सन् १९७२ )  
में संशोधन.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९७२ ( क्रमांक २७ सन् १९७२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, शब्द “नौ हजार” के स्थान पर, शब्द “दस हजार” स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

( एक ) उपधारा ( १ ) में, शब्द “नौ हजार” तथा “छह हजार” के स्थान पर, शब्द “तेरह हजार” तथा “दस हजार” क्रमशः स्थापित किए जाएं;

( दो ) उपधारा ( २ ) में, शब्द “बारह हजार” के स्थान पर, शब्द “अठारह हजार” स्थापित किए जाएं;

( तीन ) उपधारा ( ३ ) में, शब्द “पांच सौ” के स्थान पर, शब्द “आठ सौ” स्थापित किए जाएं.

## भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९८० ( क्रमांक ८ सन् १९८० )  
में संशोधन.

धारा ३ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९८० ( क्रमांक ८ सन् १९८० ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ३ में, शब्द “नौ हजार” के स्थान पर, शब्द “दस हजार” स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

( एक ) उपधारा ( १ ) में, शब्द “नौ हजार” के स्थान पर, शब्द “तेरह हजार” स्थापित किए जाएं;

( दो ) उपधारा ( २ ) में, शब्द “बारह हजार” के स्थान पर, शब्द “अठारह हजार” स्थापित किए जाएं;

( तीन ) उपधारा ( ३ ) में, शब्द “पांच सौ” के स्थान पर, शब्द “आठ सौ” स्थापित किए जाएं.

## उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रा-स्फीति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) में समुचित संशोधन करके मध्यप्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष को देय वेतन और भत्तों में वृद्धि की जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :  
दिनांक २६ मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

## वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४ एवं ५ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये ७,२०,०००/- (रुपये सात लाख बीस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.